(d) There is a proposal to amend Delhi Land (Restrictions on Transfer) Act, 1972 to provide for prior permission in writing of the competent authority and registration of the Power of Attorney under Registration Act, 1908 in the case of lands notified under Section 6 of the Land Acquisition Act, 1984.

**Cadre review of Central Information Service**

462. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that CIS cadre review was conducted only once so far in 1982, by his Ministry since the initial constitution of the cadre in 1960, in violation of the triennial cadre review scheme introduced in 1967; and

(b) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI V. N. GADGIL): (a) and (b) Yes Sir. It is a fact that only one cadre review has been conducted so far. There was an element of delay due to various administrative reasons. Steps have been taken to avoid the same.

**व्यावसायिक प्रयोजन के लिए रिहायशी मकानों का इस्तेमाल**

463. **श्री सत्यपाल मलिक**: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली के डिफेन्स कालोनी, ग्रेटर कैलास और लाजपत नगर क्षेत्रों में दुकानों, नर्सिंग होम, कार बाजार और शो-रूम आदि जैसे व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए रिहायसी मकानों का इस्तेमाल किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर)**: (क) जी, हां। कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं।

(ख) डिफेन्स कालोनी और लाजपत नगर जो पुनर्वास कालोनियां हैं, पट्टाकर्त्ता के रूप में भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा निरीक्षणों पर लगाए गए प्रतिबन्ध के तहत आती है। इन कालोनियों में पट्टों की शर्तों के अन्तर्गत कार्रवाई पड़ोसियों से शिकायतें प्राप्त होने पर या विक्रय अनुमति आदि के लिए पट्टाधारियों से प्राप्त अनुरोधों पर ही की जाती है और तभी निरीक्षण किया जाता है। ग्रेटर कैलास भूमि तथा विकास कार्यालय के पट्टा प्रशासन के तहत नहीं है। तथापि, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण अनरूप उपयोग के लिए तीन कालोनियों में अभियोजन की कार्यवाही करता है। दिल्ली नगर निगम भी दुरुपयोग प्रसार वसूल करने के पश्चात् ही दुरुपयोग के नियमिति करण के लिए कार्रवाई करता है और जहां दुरुपयोग नियमितीकरण योग्य नही है, वहां दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन की कार्रवाही की जाती है।

**निर्वाह कृषि का वाणिज्यिक कृषि में बदला जाना**

464. **श्री सत्यपाल मलिक**: क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने प्रतिशत क्षेत्र में अभी भी निर्वाह कृषि की जाती है; और

(ख) इसे वाणिज्यिक कृषि में बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या योजनाएं बनाई गई है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)**: (क) मोटे तौर पर निर्वाह खेती छोटे और सीमांत किसानों